तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
5/5/21	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। [illegible] महामारी के [illegible] से व्यस्त होने से [illegible] में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 5-12-21 को पेश हो	
04.12.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। मिसल वास्ते पूर्व में पेश साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 मुकेश मीणा पुत्र हरिश्चन्द्र तथा PW-2 जशोदा बाई पत्नी हरिश्चन्द्र का साक्ष्य शपथ पत्र पेश। जो शामिल फाईल किया जाता है। मिसल वास्ते आइन्दा कार्यवाही में दिनांक 11.12.2025 को पेश हो।	
11.12.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। मिसल वास्ते वादी आदि० ने साक्ष्य शपथ पत्र PW-3 राकेश मीणा पुत्र हरिश्चन्द्र का पेश किया जो शामिल फाईल किया जाता है और साक्ष्य पेश नहीं चाहते। मिसल वास्ते बहस में दिनांक 24.12.2025 को पेश हो।	
24.12.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। मिसल वास्ते बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के सम्पूर्ण दस्तावेज, रिकॉर्ड तथा साक्ष्यों का अध्ययन अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसिल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/12/2015 को खुले इजलास सुनाया गया।	

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

...0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
/2018	07.08.2018	24.12.2025

...ासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

नखलेश उर्फ मिथलेश आत्मज हरिशचन्द जाति मीणा निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

...ादी की और से :– श्री छीतरलाल गोचर एड0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–
संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम तोरण तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नं0 11 रकबा 2.91 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमे वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबन्दी 2071–74 संलग्न है। यह कि उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मिथलेश अंकित है जबकि वादी का नाम नखलेश है। वादी का आधार कार्ड बना हुआ है जिसमें वादी का नाम नखलेश अंकित है। यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम नखलेश के स्थान पर मिथलेश दर्ज कर दिया है जिसके कारण वादी को भविष्य में काफी पेरशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। वर्तमान में भी वादी को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मिथलेश के स्थान पर नखलेश दर्ज किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादी ने प्रतिवादी से कई मर्तबा निवेदन किया तथा अन्त में दिनांक 27.07.2018 को निवेदन करने पर उन्होनें कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। यह कि वाद कारण प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम नखलेश के स्थान पर मिथलेश दर्ज कर दिये जाने के कारण व दिनांक 27.07.2018 को वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ। यह कि उपरोक्त मामला अर्जेन्ट नेचर एवं इमीलिएट रिलीफ से संबंधित होने के कारण प्रतिवादी को धारा 80 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत

सहायक कलक्टर
...जिला कोटा (राज.)

से पूर्व दो माह का नोटिस नहीं दिया गया है तथा दावा धारा 80 (2) जा0 दी0 के आवेदन के साथ पेश किया जा रहा है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जाये कि ग्राम तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा नं0 रकबा 2.91 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मिथलेश के स्थान पर नखलेश अथा मिथलेश नखलेश दर्ज किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी सीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। सीलदार दीगोद से प्राप्त जवाब सरकार अनुसार– रेकॉर्ड अनुसार स्वीकार है। राजस्व रेकॉर्ड में मिथलेश म दर्ज रेकॉर्ड होना स्वीकार है शेष सिद्व करने का भार वादी पर है। वादी का नाम मिथलेश जर्ये नामा 200 रेकॉर्ड में दर्ज हुआ है। नामा0 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया है। नामा0 नं0 200 विक्रय ानुसार दर्ज नामा0 है। वादी का नाम रजि0 विक्रय पत्रानुसार दर्ज नामा0 से दर्ज हुआ है। तत्समय (वर्ष 00) के निर्णित नामा0 की अपील वादी द्वारा नहीं की गयी। प्रकरण में जवाब सहमति पूरक होने से नकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होने पर प्रकरण साक्ष्य ली गयी। वादी साक्ष्य में PW-1 केश कुमार मीणा पुत्र हरिशचन्द PW-2 जशोदा बाई पत्नि हरिशचन्द PW-3 राकेश मीणा आत्मज रिशचन्द का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रकरण को बहस र नियत किया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में प्राप्त जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का वलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा 0 110 रकबा 2.91 है0 भूमि में वादी का नाम मिथलेश के स्थान पर मिथलेश उर्फ नखलेश किये जाने व जस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिकी जारी हो। पत्रावली में अन्य ोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

दण्डनायक मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद जिला कोटा (राज.)

डिकी मुकदमा
(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

ोठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

नखलेश उर्फ मिथलेश आत्मज हरिशचन्द जाति मीणा निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

ादी की और से :– श्री छीतरलाल गोचर एड0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

मिसल नम्बर 81/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ श्री दीपक महावर आर.ए.एस ाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि द वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा नं0 110 रकबा 2.91) भूमि में वादी का नाम मिथलेश के स्थान पर मिथलेश उर्फ नखलेश किये जाने व राजस्व रिकार्ड में रूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 24.12.2025 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
ाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
ाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
न्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
र्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
त इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
0	0	0	मुत0	0	0
लान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)